रजिस्टर्ड नं0 एन0-33/एन0 एम0/13-14.95.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 22 अप्रैल, 1995/2 वैशाख, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अप्रैल, 1995

संख्या एल0 एस0 जी0-ए0 (3) 8/94.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 279 के साथ पठित धारा 12, 22 और 304 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के आरक्षण और निर्वाचन) नियम, 1995 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है ।

(ख) "अध्यक्ष" से निर्वाचित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित अध्यक्ष का पद धारण करने और उसके कृत्यों का अनुपालन करने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

(ग) "नगरपालिका" से नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अभिप्रेत है परन्तु इसके अन्तर्गत नगर निगम नहीं है ।

(2) उन सब शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के पदों का आरक्षण और उनका चक्रानुक्रम.—(1) नगरपालिका के प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, राज्य में नगरपालिकाओं में आरक्षित किए जाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए अध्यक्ष के पदों की संख्या अवधारित करेगा ।

(2) अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य प्रवर्ग और महिलाओं की जनसंख्या की संगणना की जाएगी ।

(3) राज्य में, नगरपालिकाओं में, अध्यक्षों के पद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे । अनुसूचित जाति की अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाली नगरपालिका, अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होगी और अनुसूचित जनजाति की अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाली नगरपालिका, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी ।

(4) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, आरक्षित पदों की संख्या एक से अधिक हो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अगली अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली नगरपालिका क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी जाएगी और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा ।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों से, एक-तिहाई पद यथास्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और राज्य में यथा स्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं की अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाली नगरपालिका, ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी ।

(6) यदि यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या एक से अधिक हो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं की अगली अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाली नगरपालिका, यथा स्थिति ऐसी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी और आगे भी ऐसा ही क्रम जारी रहेगा ।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाएं भी सम्मिलित हैं) के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर कुल पदों में से एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और महिलाओं की अगली अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाली नगरपालिका सामान्य वर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और आगे भी ऐसा क्रम जारी रहेगा ।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं और सामान्य वर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर पदों का आरक्षण पहले निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् चक्रानुक्रम में रहेगा । अगले निर्वाचन के समय अगली अधिकतम जनसंख्या की प्रतिशतता वाली नगरपालिका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों (जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाएं और सामान्य वर्ग से सम्बन्धित महिलाएं भी सम्मिलित हैं) के लिए आरक्षित होंगी और पहले आरक्षित पद सामान्य वर्ग के सदस्यों के लिए खुले रखे जाएंगे और यह क्रम पश्चात्वर्ती निर्वाचन के लिए ऐसा ही जारी रहेगा :

परन्तु किसी विशेष वर्ग के लिए किसी पद के आरक्षण की पुनरावृत्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक की राज्य में सभी अन्य पद चक्रानुक्रम द्वारा भर नहीं लिए जाते ।

(9) जहां अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) के अधीन पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों या पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पदों का आरक्षण किया जाता है, वहां इस नियम के पूर्वगामी उप-नियमों के उपबन्ध, जहां तक कि ये उक्त धारा 12 की उप-धारा (4) के उपबन्धों से असंगत न हों, यथावश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही लागू होंगे जैसा कि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचितजन जाति और महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम और आरक्षण के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

(10) इस नियम के अधीन किए गए आरक्षण को राज्य सरकार या इस निमित्त उसके प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा और उसके कार्यालय तथा नगरपालिका, जिला और तहसील के कार्यालय के सूचना पट पर ऐसे आरक्षण के आदेश की प्रति को चिपका कर व्यापक प्रचार किया जाएगा ।

(11) जहां पर आरक्षण का आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी न किया गया हो, वहां जिस अधिकारी ने ऐसा आदेश जारी किया हो, वह इसकी प्रति सरकार को भेजेगा । राज्य सरकार, चाहे आदेश उसके द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति की प्राप्ति पर किया गया है, आरक्षण के आदेश की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और ऐसी जारी की गई अधिसूचना राज्य में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण का निश्चायक सबूत होगा ।

4. राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना.—राज्य सरकार अपने द्वारा किए गए आरक्षण के चक्रानुक्रम और पदों के आरक्षण के अन्तिम आदेश की प्रति, तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग को परिदत्त करवाएगी ।

5. निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना.—(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64 के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के पश्चात उपायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) की पंक्ति से नीचे का न हो, अधिनियम की धारा 27 के अधीन नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों को भारत के संविधान की प्रतिनिष्ठा की शपथ दिलाने के लिए प्रथम बैठक के लिए सात दिन का समय देकर नव-निर्वाचित सदस्यों को लिखित रूप में सूचना जारी करते हुए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा परन्तु ऐसी सूचना निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बठक से कम से कम स्पष्ट 48 घण्टे पूर्व परदत्त की जाएगी । यह बैठक यथास्थिति, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के मुख्यालय में होगी ।

(2) आयुक्त, उप-नियम (1) के अधीन नियत समय, स्थान और तारीख को प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतिज्ञान करवाने और शपथ लेने के लिए बुलाएगा ।

6. अध्यक्ष का निर्वाचन.—(1) नियम 5 के अधीन निर्वाचित सदस्यों को शपथ या निष्ठा की शपथ दिलाई जाने के तुरन्त उपरान्त, उपायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) की पंक्ति से नीचे का न हो, अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के संचालन की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बैठक की गणपूर्ति कुल निर्वाचन सदस्यों का 3/4 भाग होगी। यदि गणपूर्ति पूर्ण न हो तो उपायुक्त या बठक की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी बैठक को अगली तारीख तक स्थगित करेगा जो इस प्रथम बैठक के दिन से तीन दिन से अधिक नहीं होगी। स्थगित की गई बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

(3) यदि एक पद के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी के नाम का प्रस्ताव किया जाता है तो वह ऐसे अभ्यर्थी को पूर्वोक्त पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा ।

(4) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रयोग होने वाला मतपत्र प्ररूप–1 में होगा और उससे दर्शित विवरण, हिन्दी देवनागरी लिपि में होगा ।

7. अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतदान की रीति.—(1) अध्यक्ष के निर्वाचन में मतदान निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:—

(क) सदस्यों को मतपत्र जारी करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी इसके पीछे सुभिन्न चिन्ह के रूप में अपने हस्ताक्षर करेगा,

(ख) मतपत्र की प्राप्ति पर सदस्य उस अभ्यर्थी के नाम के सामने गुणा (×) का चिन्ह लगाएगा जिसको वह अपना मत देना चाहता है।

(ग) गुणा (×) का निशान लगाने के पश्चात् सदस्य मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि उसका मत छुप जाए ।

(घ) वह मोड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा, जो इस प्रयोजन के लिए पीठासीन अधिकारी के सामने रखी होगी ।

(2) मतदान समाप्त हो जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी मतपेटी को खोलेगा और सदस्यों की उपस्थिति में उन मतों की गणना करेगा जो विधिमान्य नहीं है और अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण:—इस तथ्य को जानने के लिए कि डाला गया मत विधिमान्य है या अविधिमान्य है, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 61 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(3) जिस अभ्यर्थी के पक्ष में सबसे अधिक विधिमान्य मत पड़ेंगे वह उस पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

परन्तु यदि मतपत्रों की गणना के पश्चात् अभ्यर्थियों ने एक समान मत प्राप्त किए हों, और उसमें कोई भी अभ्यर्थी एक मत की बढ़ौतरी से निर्वाचित घोषित होने का अधिकारी हो सकता हो, तो यह भाग्यपत्र डालकर किया जाएगा और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में भाग्यपत्र निकलेगा, उसे एक और मत मिला समझा जाएगा और वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(4) इस मतदान में प्रयोग किए गए सभी मतपत्र एक मजबूत लिफाफे में बन्द किए जाएंगे जिसे अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों के समक्ष मोहरबन्द करेगा तथा उस पर निर्वाचन का जिससे मतपत्र सम्बन्धित है वर्णन लिखेगा। उपायुक्त लिफाफे को अपने कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे वह लिखित रूप में नियत करेगा निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक ठीक तरह से परिरक्षित करेगा और तत्पश्चात वह इसे इसकी अन्तर्वस्तु सहित ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, सक्षम न्यायालय या राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकृत अधिकारी या अधिनियम के अध्याय 17 के अधीन निर्वाचन याचिका की जांच करने के लिए नियुक्त आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए, नष्ट करवाएगा।

(5) उपायुक्त प्ररूप-2 में निर्वाचन की विवरणी तैयार करेगा और राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ तथा अभिलेख के लिए भेजेगा ।

(6) राज्य सरकार उप-नियम (5) के अधीन निर्वाचन विवरणी की प्राप्ति पर अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अध्यक्ष के निर्वाचन को अधिसूचित करेगी और उसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी ।

8. उपाध्यक्ष का निर्वाचन.—अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात उपायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो उप-मण्डलाधिकारी (सिविल) की पंक्ति के नीचे का न हो, इन नियमों के नियम 6 और 7 के अधीन अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए यथा उपबन्धित रीति में उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन करेगा ।

9. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्तियां.—जब किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण कोई रिक्ति हो जाती है और उसके स्थान पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना हो तो ऐसा निर्वाचन यथाशक्यशीघ्र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए इन नियमों में विहित रीति में किया जाएगा ।

10. निर्वाचन याचिका.—नगरपालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचन याचिकाएं और अपीलें उसी प्रकार प्रस्तुत की जाएंगी और बरती जाएंगी जिस प्रकार अधिनियम के अध्याय 7 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 71 से 77 के अधीन, नगरपालिका में सदस्यों के पद के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाती हैं और बरती जाती हैं ।

प्ररूप 1

[नियम 6 (5) देखें]

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतपत्र

नगरपालिका का नाम.....

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	निशान लगाने के लिए स्थान
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		

प्ररूप-2

(नियम 7 (5) और 8 देखें)

नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत.....के अध्यक्ष के निर्वाचन का विवरण ।

1. क्रम सं0.....
2. अभ्यर्थी का नाम.....
3. कुल डाले गए मतों का योग.....
4. डाले गए विधि मान्य मतों की संख्या.....
5. अस्वीकृत मतों की संख्या.....

मैं घोषणा करता हूं कि.....नाम..... (पता) उपर्युक्त नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए हैं ।

स्थान.....

तारीख....

उपायुक्त ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of Government Notification No. LSG*-(3) 8/94, *dated* 21-4-1995 *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*],

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 21*st April*, 1995

No. LSG-A (3) 8/94.—In exercise of the powers vested in him under sections 12, 22 and 304 read with section 279 of the Himachal Pradesh Minicipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governo·, Himachal Pradesh, in consultation with the State Election Commission, is pleased to make the following rules, namely:—

1. *Short title and commencement.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal (Reservation and Election to the office of the President and Vice President) Rules, 1995.

(2) They shall come into force atonce.

2. (1) In these rules the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" mean the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994;

(*b*) "Chair-person" means any member of the municipality elected as President by the elected members to hold office and to perform the functions of the President ;

(*c*) "Municipality" means a Municipal Council and Nagar Panchayat, but does not include a Municipal Corporation.

(2) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings as are assigned to them under the Act.

3. *Reservation and rotation of offices of Chair persons in the Municipalities.*—(1) Before every election to a municipality the State Government or any other officer authorised by it in this behalf shall, in accordance with the provisions of section 12 of the Act, determine the number of the office of Chair-persons of municipalities to be reserved for Scheduled Castes, Schedule Tribes and Women in the State.

(2) The population of general category, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women shall be worked out for the purpose of reservation of the offices of the Chair-persons.

(3) In the State the offices of the Chair-person in the municipalities shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population in the State. The municipality having highest percentage of population of Scheduled Castes shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and the municipality having the highest percentage of population of Scheduled Tribes shall be reserved for the Scheduled Tribes.

(4) If the number of offices to be reserved for the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes is more than one, then the municipality having the next highest percentage of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be and so on.

(5) Out of the offices reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, one third of the offices shall be reserved for women members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, and the municipality having the highest percentage of population of women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, in the State shall be reserved for such women.

(6) If the number of offices to be reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is more than one then the municipality having the next highest percentage of population of women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, shall be reserved for such women, and so on.

(7) Out of the total offices excluding the offices reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes), one-third of the offices shall be reserved for women and the municipality having the next highest women population percentage shall be reserved for women belonging to general category, and so on.

(8) The offices reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to general category on the basis of percentage of population shall be rotated after every five years from the date of first election. At the time of next election, the municipality having the next highest percentage of population shall be reserved for member of Scheduled Castes and Scheduled Tribes including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to general category (and the office earlier reserved shall be kept open to the members of the general category) and so on, for subsequent election :

Provided that the reservation of any office for a particular category shall not be repeated unless all other offices in the State are covered by rotation.

(9) Where the offices of the Chair-persons in municipalites are reserved for the person belonging to backward classes or for the women belonging to backward classes under sub-section (4)

of section 12 of the Act, the provisions of foregoing sub-rule of this rule, so far these are not inconsistent with the provisions of said sub-section (4) of section 12, shall apply *mutatis-mutandis* as these apply in relation to the reservation and rotation of offices, for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women.

(10) The reservation made under this rule shall be finalised by the State Government or by any other officer authorised by it in this behalf and shall be given wide publicity by affixing a copy of order of such reservation on the notice board of his office and that of the municipality, District and Tehsil.

(11) Where the order of the reservation has not been issued by the State Government, the officer who has issued the order shall send a copy of the same to the Government. The State Government, whether order is made by it or on receipt of the copy of the order issued by any other officer, shall publish the order of reservation in the Official Gazette and the notification so issued shall be the conclusive proof of reservation of offices of Chair-persons in the State.

4. *Report to State Election Commission.* —The State Government shall cause to be delivered a copy of the final reservation of offices and rotation of reservation order made by it immediately to the State Election Commission.

5. *Administration of oath to the elected member.*—(1)After the results of Election of members have been declared under rule 64 of Himachal Pradesh Municipal (Elections) Rules, 1994, the Depuy Commissioner or any other officer authorised by him, not below the rank of Sub Divisional Officer (Civil) shall fix a date and time for making an oath or subscribing an allegiance to the Constitution of India to the elected members of the municipality under section 27 of the Act by issuing notice in writing to the newly elected members giving seven days time for the first meeting, provided that such notice shall be delivered to the elected members atleast 48 clear hours before such meeting. This meeting shall be held at the headquarters of the Municipal Council/Nagar Panchayat as the case may be.

(2) On the date and time fixed under sub-rule (1) the Deputy Commissioner or any other officer authorised by him, not below the rank of Sub Divisional Officer (Civil) shall call each elected member to make an oath or subscribe an affirmation of allegiance to the Constitution of India.

6. *Election of President.*—(1) Immediately after an oath is made or an allegiance is subscribed to the elected members under rules 5, the Deputy Commissioner or any other officer authorised by him not below the rank of Sub Divisional Officer (Civil), shall provide over the meeting for the conduct of elections to the oflice of President.

(2) Quorum for the meeting for the election of President/Vice President shall be 3/4th of the total elected members. In case the quorum is not complete, the Deputy Commissioner or the officer presiding over the meeting shall postpone the meeting to a later date not being more than three days from the day of its first meeting. For the postponed meeting no quorum shall be necessary.

(3) If only one candidate for the office is proposed, he shall declare such a candidate as duly elected to fill the said office.

(4) If there are more candidates than one poll shall be held.

(5) Ballot papers to be used at the election of the President shall be in Form-I and the particulars therein shall be in Hindi in Devnagri script.

7. *Method of voting at the election of President.*—(1) The procedure of voting at the election of President shall be as under:—

(*a*) before issuing the ballot papers to the members, the Presiding Officer shall put his signatures on the back of each ballot paper in token of distinguishing mark ;

(*b*) the member on receipt of the ballot paper shall make a cross mark (×) against the name of the candidate for whom he intends to vote ;

(*c*) after marking cross, the member shall fold the ballot paper so as to conceal his vote; and

(*d*) the member shall insert the folded ballot paper into the ballot box kept for the purpose in front of the Presiding Officer.

(2) After polling is over, the Presiding Officer shall open the ballot box and shall, in the presence of the members, count the votes.

Explanation.—For determining whether a vote polled is valid or invalid the provisions of rule 61 of the Himachal Pradesh Municipal (Elections) Rules, 1994, shall apply.

(3) A candidate obtaining largest number of valid votes shall be declared to be elected to fill the office :

Provided that if, after the counting of the votes tie is found to exist between any candidate, and the addition of one vote will entitle any of these candidate to be declared elected, that shall forthwith be decided between these candidates by lot, and the candidate on whom the lot falls shall be considered to have received an additional vote and shall be declared to be duly elected.

(4) All ballot papers used for such voting, shall be enclosed in a stout envelope and sealed by the Presiding Officer in full view of the members present there at and the description of the election to which the ballot papers relate shall be inscribed thereon. The Deputy Commissioner shall preserve the envelope, intact either in his office or at such other place as he may specify in writing until the expiry of one year from the date of election and shall then subject to any direction to the contrary given by the competent court or a State Election Commission or an officer authorised/appointed to hold an enquiry into an election petition under Chapter XVII of the Act cause it to be disposed off with its contents in such manner as he may deem fit.

(5) The Deputy Commissioner shall prepare and forward the return of election in Form-II to the State Government as well as to the State Election Commission for information and record.

(6) The State Government on receipt of the election return under sub-rule (5) shall notify the election of the President as required under sub-section (1) of section 27 of the Act and forward a copy of the same to the State Election Commission.

8. *Election of the Vice President.* —After the election of the President, the Deputy Commissioner or any other officer authorised by him, not below the rank of Sub-Divisional Officer (Civil) shall hold the election to the office of the Vice President in the same manner as provided for the election of President under rules 6 and 7 of these rules.

9. *Casual vacancies of President or Vice President.* —When a vacancy occurs by death, resignation or removal of the President/Vice President and a new President/Vice President is to be elected in his place, such election shall be conducted in the manner prescribed in these rules for the election of President/Vice President as early as possible.

10. *Election petitions.*—Election petitions and appeals thereof in relation to the offices of President and Vice President in the municipality shall be presented and dealt with in the same manner as the election and appeals in relation to the office of members in municipalities are presented and dealt with under Chapter VII and rules 71 to 77 of the Himachal Pradesh Municipal (Elections) Rules, 1994.

FORM-I

[*See* rule 6 (5)]

BALLOT PAPER FOR THE ELECTION OF PRESIDENT/VICE PRESIDENT

Name of municipality.....

Sr. No.	Name of candidate	Space for marking
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		

FORM-II

[(*See* rule 7 (5) and rule 8]

Return of Election of President/Vice President..... Municipal Council/Nagar Panchayat.

1. Serial number.....
2. Name of candidate.....
3. Total number of votes polled.....
4. Total number of valid votes polled.....
5. Total number of rejected votes.....

I declare that.....(name).....(address) has been duly elected as President/Vice President to above committee.

Place.....
Dtae.....

Deputy Commissioner,

By order,
S. K. SOOD,
Commissioner-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।